FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0281 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/12/2024 17:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:31 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/12/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/12/2024 17:51:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 210 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHSIL PARISAR KOTRI, DISTRICT SHAHPURA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** UDA GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NATHU GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM BAGRI, KOTRI, PAROLI, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM BAGRI, KOTRI, PAROLI, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANIL KUMAR		पिता:RAM GOSWAMI	1. SAIPU ROAD,GANESHNAGAR,AYODHYA KUNJ COLONY,DHOLPUR,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 6,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेंवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम विषय - रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों
पकडवाने बाबत् । महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री नाथू जी ग्राम बागडी में कृषि की जमीन है जिस पर मैं श्री फेज
कनेक्शन लेना चाहता हूं। इस पर पटवारी पटवार हल्का साकडा के नकल व अन्य कागज पर हस्ताक्षर करवाने है इसलिये मैं
पटवारी साहब साकडा से मिला तो उन्होने मुझसे साईन करने के लिये 10,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर रहे है और
कहा कि 10,000 रूपये देगा तभी मैं तेरी पत्रावली पर साईन करूंगा। मैं पटवारी साकडा को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे
हाथों पकडवाना चाहता हूं। पटवारी साहब से मेरी कोई उधार का लेन-देन नही है और ना ही कोई पटवारी साहब से रंजिश
है। कानूनी कार्यवाही करावें । भवदीय, उदा पुत्र श्री नाथू उम्र 35 साल निवासी बागडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
मोबाईल नम्बर [redacted] महोदय, दिनांक 26.11.2024 समय 02.30 पी.एम. पर कार्यालय में परिवादीगण श्री
उदा पुत्र श्री नाथू उम्र 35 साल निवासी बागडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा अपने सिजारी श्री शंकर सिंह पुत्र श्री
भवानी सिंह उम्र 40 साल, पेषा खेती निवासी बागडी तहसील कोटडी, पुलिस थाना पारोली जिला भीलवाडा उपस्थित
आये जिनके द्वारा एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा के
नाम की होकर मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम के समक्ष पेश किया जिसका
अवलोकन करने के उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर, अतिरिक्त चार्ज पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम को
जरिये दूरभाष हालात निवेदन किये गये जिस पर श्रीमान् द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान
किये गये । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगणों से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में दरियाफ्त की
गई तो प्रथम परिवादी श्री उदा गुर्जर ने बताया कि ग्राम बागडी में मेरे पिताजी श्री नाथू गुर्जर पुत्र श्री मगना गुर्जर व बुआ व
अन्य रिस्तेदारों के नाम पर शामिलाती कृषि भूमि है जिस पर कृषि कार्य हेतु उक्त भूमि पर थ्री फेस विधुत कनेक्शन लेना
चाहते है । इस पर मैनें मेरे सिजारी श्री शंकर सिंह को थ्री फेस विधुत कनेक्शन की पत्रावली तैयार करने के लिये कहा था
क्योक मैं पढा लिखा नही होकर लिखा-पढी करना नही जानता हूं । मेरे कहे अनुसार श्री शंकर सिंह जी ने थ्री फेस विधुत
कनेक्शन से सम्बन्धित पत्रावली तैयार कर उसमें सभी जरूरी कागजात् संलग्न कर मुझे दिये तथा उक्त पत्रावली में थ्री फेस
विधुत कनेक्शन लेने के सम्बन्ध में आराजी नम्बर 622 में कुंआ एवं नलकूप की रिपोर्ट पटवारी से करवाने के सम्बन्ध में
बताया था जिस पर हम दोनों थ्री फेस विधुत कनेक्शन की पत्रावली पर पटवारी की रिपोर्ट करवाने बाबत् श्री अनिल कुमार
पटवारी पटवार हल्का साखडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा से आज सुबह तहसील कार्यालय कोटडी परिसर में मिले
और पत्रावली पर रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में कहा तो पटवारी साहब मेरी पत्रावली पर हस्ताक्षर करने के लिये मेरे से
10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि 10,000 रूपये दोगें तभी मैं आपकी पत्रावली पर हस्ताक्षर करूंगा।
मैं पटवारी साखडा को रिश्वत राशि के रूप में 10,000 रूपये नही देना चाहता हूं तथा उनको मैं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे
हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी साहब से कोई पुराना लेन-देन बकाया नही है और ना ही कोई पुरानी रंजिश है।
सिजारी श्री शंकर सिंह से दरियाफ्त की गई तो बताया कि मैनें श्री नाथू गुर्जर की कृषि भूमि को आधी-पाती पर लगभग 02
वर्ष से सिजारी के रूप में लेकर कृषि कार्य कर रहा हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शंकर सिंह से खेत सिंजारे लेने
से सम्बन्धित दस्तावेज/लिखा-पढी होने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री शंकर सिंह ने लिखा-पढी नही बताया, साथ ही उक्त भूमि
पर थ्री फेस विधुत कनेक्शन की पत्रावली स्वयं के द्वारा तैयार करना बताया व उक्त पत्रावली पर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट
करवाने के सम्बन्ध में मैं व श्री उदा गुर्जर पटवारी पटवार हल्का साखडा से मिलें तो उन्होने मौका रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में
10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि पैसे दोगे तभी काम होगा। तत्पश्चात परिवादी श्री उदा गुर्जर द्वारा
अपने पिता श्री नाथू गुर्जर के नाम लिये जाने वाले थ्री फेस के विधुत कनेक्शन से सम्बन्धित पत्रावली की फोटोप्रतियां एव श्री
शंकर सिंह एवं स्वयं के आधार की फोटो प्रतियां भी हस्ताक्षर शुदा पेज संख्या 01 से 16 तक की पेश की जिसका अवलोकन
किया गया तो पत्रावली में अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, कोटडी जिला भीलवाडा से सम्बन्धित आवेदन पत्र जिस
पर दो फोटो श्री नाथू गुर्जर एवं श्री हरलाल गुर्जर के होकर उक्त आवेदन पत्र पर हर दोनो की अंगुठा निशानी लगी हुई है, व
कार्यालय विधुत विभाग कोटडी का सिंगल फेज कनेक्शन के तखमिना की रिपोर्ट, दो शपथ पत्र 50 रूपये के जिसके स्टाम्प

नम्बर बी.डब्ल्यू 164307, बी.डब्ल्यू 164305 संलग्न है, जमाबन्दी एवं खसरा नक्शा की फोटो प्रतियां जो खसरा नम्बर 622 से सम्बन्धित है जो नाथू पुत्र श्री मगना, हरलाल पुत्र श्री मगना के नाम से है, संलग्न पटवारी रिपोर्ट की प्रति जो खाली है, दो आधार की फोटो प्रतियां जो नाथू पुत्र श्री मगना, हरलाल पुत्र श्री मगना के संलग्न है, राशन कार्ड की फोटो प्रति जो नाथू पुत्र श्री मगना, हरलाल पुत्र श्री मगना की है एवं मूल बिजली के बिल की प्रति श्री मोहन लाल गुर्जर के नाम की जिसके के. नम्बर 110224047406 है। परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर हम दोनो परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने का कहने पर बताया कि अभी पटवारी साहब तहसील कोटडी जिला शाहपुरा में मिलेगे जिनके पास जाकर आज ही मौका रिपोर्ट करवाने के सम्बन्ध में वार्ता कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा देगें। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादीगणों द्वारा पेश उपरोक्त रिपोर्ट के मजमून एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय कार्यवाही में मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को बुलाकर परिवादीगण श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह से आपस मे परिचय करवाया तथा मोबाईल नम्बर साझा किये गये। श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को परिवादीगणों के साथ तहसील कोटडी जिला शाहपुरा पहूंच पटवारी से की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना प्रभारी श्री रामपाल ए.एस. आई से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जिस पर श्री रामपाल ए.एस.आई ने एक नया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का एवं कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा नये मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगाकर परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के बारे में जानकारी देकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाने के उपरान्त श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को परिवादीगणों के साथ जाकर पटवारी से की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये जाकर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया। श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को यह भी हिदायत दी गई कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर परिवादी उदा गुर्जर को ही देवें साथ ही नेमीचन्द ए.एस.आई को हिदायत दी गई कि संदिग्ध पटवारी श्री अनिल कुमार पटवार हल्का साखडा की आम शोहरत के बारे में पता करें। समय 03.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह तथा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु कोटडी जिला शाहपुरा की ओर परिवादी श्री उदा गुर्जर की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 07.25 पी.एम पर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई मय परिवादीगण श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आये तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई ने पेश किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात् श्री नेमीचन्द ए.एस.आई ने बताया कि मैं व परिवादीगण श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह के साथ परिवादी की मोटर साईकिल से हम तीनों ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कोटडी स्थित बिजली विभाग के पीछे बाई पास रोड पर पहूंचे जहां पर मैनें परिवादी श्री उदा गुर्जर को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह को उनकी मोटर साईकिल से तहसील कार्यालय कोटडी के लिये रवाना किया। करीब 10 मिनट बाद परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह मेरे पास आये तथा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री शंकर सिंह ने मुझे बताया कि संदिग्ध पटवारी श्री अनिल कुमार की तहसील परिसर कोटडी में तलाश करने पर नही मिलने पर मैने मेरे मोबाईल फोन [redacted] से पटवारी के मोबाईल फोन [redacted] पर कॉल किया तो पटवारी साहब ने मुझे बताया कि मैं अभी बाहर हूं। आप रूको मैं 01 से 02 घंटे में तहसील कार्यालय में ही आ रहा हूं। इस पर हम तीनों ही तहसील परिसर कोटडी के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए पटवारी के आने के ईन्तजार में मुकीम हुए। तत्पश्चात समय 05.21 पी.एम. पर संदिग्ध पटवारी ने अपने मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से श्री शंकर सिंह के मोबाईल फोन नम्बर [redacted] पर फोन कर तहसील कार्यालय में बुलाया है। इस पर समय 05.28 पी.एम. पर मैनें डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री उदा गुर्जर को सुपुर्द कर परिवादी श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह जी को उनकी मोटर साईकिल से तहसील कार्यालय कोटडी की ओर पटवारी श्री अनिल कुमार से वार्ता करने हेतु रवाना किया। समय 05.42 पी.एम. पर दोनो परिवादीगण मेरे पास आये और परिवादी श्री उदा गुर्जर ने मुझे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादीगण श्री शंकर सिंह एवं श्री उदा गुर्जर ने मुझे बताया कि हम दोनो आपके पास से रवाना होकर कोटडी तहसील पहूंचे जहां पर पटवारी साहब श्री अनिल कुमार तहसील कोटडी परिसर में उपस्थित मिलें जिनसे हमने हमारें श्री फेज कृषि कनेक्शन की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में व कुआं व नलकूप इन्द्राज करने के लिये कहा तो उन्होने पत्रावली पर हस्ताक्षर करने के लिये 10,000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 8,000 हजार रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुए। इसके बाद हम सभी परिवादी श्री उदा गुर्जर की मोटर साईकिल से कोटडी से ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम के लिये रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय प्रथम पर

उपस्थित आये है। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर ने श्री नेमीचन्द ए.एस.आई द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि पटवारी श्री अनिल कुमार 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए 8,000 हजार रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ तथा पटवारी ने मुझे कहा कि पैसें दोगें तभी मैं तेरे कृषि कनेक्शन हेतु रिपोर्ट करूंगा एवं कुंआ एव नलकूप का इन्द्राज करूंगा। मेरे द्वारा बार-बार पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि को कम करने का कहा गया पर पटवारी 8,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने पर अडा रहा और कहा कि उक्त रिश्वत राशि देगा तभी मैं तेरा कार्य करूंगा। मेरे श्री फेज कृषि कनेक्शन की पत्रावली जो मेरे साथ थी जिस पर मैनें पटवारी को हस्ताक्षर एवं रिपोर्ट करने के लिये कहा तो पटवारी ने रिश्वत राशि लेने के बाद ही रिपोर्ट करना एवं हस्ताक्षर करने के लिये कहा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सिजारी श्री शंकर सिंह से पूछा तो श्री शंकर सिंह ने बताया कि हम दोनो पटवारी श्री अनिल कुमार से तहसील परिसर कोटडी में मिले तो उन्होने 10,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने की मांगकर 8,000 रूपये लेने हेतु सहमत हुए तथा रिश्वत राशि लेने के बाद ही हस्ताक्षर करने के लिये कहा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता जो परिवादीगण एवं श्री अनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का साखडा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सूना गया तो संदिग्ध पटवारी श्री अनिल कुमार द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर से 10,000 हजार रूपये लेने हेतु कहता है जिस पर परिवादी श्री उदा गुर्जर पटवारी को रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर संदिग्ध पटवारी 8,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हो जाता है। वार्ता के दौरान संदिग्ध पटवारी द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर को कहा जाता है कि तुम्हारा कुआं/नलकूप बिलानाम भूमि में आ रहा है यदि कुआं/नलकूप तुम्हारे खाते की भूमि में होता तो मैं वैसे ही कर देता। इस प्रकार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता अनुसार परिवादीगण श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह एवं श्री नेमीचन्द ए.एस.आई द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगणों को संदिग्ध पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 27.11.2024 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा तो श्री शंकर सिंह ने बताया कि हमारें गांव में दिनांक 28.11.2024 को कलष यात्रा है जिसमें 01-02 दिन हम दोनो व्यस्त रहेगें। समय मिलते ही रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जायेगें। तत्पश्चात दोनो परिवादीगण को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मेरे पास कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। आईन्दा परिवादीगणों के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 29.11.2024 समय 10.15 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार एस.आई को जरिये पत्र क्रमांक 1816 दिनांक 29.11.2024 द्वारा श्रीमान् उप निदेशक (कृषि विस्तार) भीलवाडा को जारी कर 02 स्वतन्त्र गवाहान को आज ही पत्र वाहक के साथ पाबन्द कर भिजवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा-प्रथम से रवाना किया गया। समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी श्री उदा गुर्जर पुत्र श्री नाथू गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम बागडी तहसील कोटडी पुलिस थाना पारोली जिला भीलवाडा व सिजारी श्री शंकर सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह जाति राजपूत उम्र 50 निवासी ग्राम बागडी तहसील कोटडी पुलिस थाना पारोली जिला शाहपुरा ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आये। जिन्होने बताया की गांव में सामाजिक कार्य होने से हम आज आये है। पटवारी साहब को आज रिश्वत राशि 8000 रूपये देगें तो मिलने पर ले लेगें। परिवादीगण को कार्यालय में बैठाया गया। समय 12.50 पी.एम. पर श्री राजेश कुमार एस. आई मय दो स्वतंत्र गवाह (1) श्री यशपाल जीनगर पुत्र श्री डालचन्द जी सोनगरा उम्र 44 साल जाति जीनगर निवासी मकान नम्बर 16/257 नेहरू विहार भीलवाडा हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद भीलवाडा एवं (2) श्री किशोर कुमार टेलर पुत्र श्री रमेश चन्द्र टेलर उम्र 40 साल जाति टेलर निवासी मकान नम्बर बी.-175 आर. के कॉलोनी भीलवाडा हाल सहायक प्रोगामर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद भीलवाडा के मय पत्रांक 4855-57 दिनांक 29.11.2024 के कार्यालय उपस्थित आये। दोनो गवाहान व परिवादीगण का आपस मे परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना दिनांक 26.11.2024 को गवाहन को पढाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 26.11.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी से निकालकर चालू कर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता को सुनाई गई तो मांग सत्यापन वार्ता होना स्वीकार किया। कार्यवाही में बतौर गवाहान उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने बतौर गवाहान उपस्थित रहने हेतु सहमति दी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन से सम्बन्धित डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समयः 12.55 पी.एम. पर श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा द्वितीय से तलविदा ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आया। समयः 12.56 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से पूर्व परिवादी श्री शंकर सिंह एवं आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी एवं दोनो गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुनकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय

01.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी एवं दोनो गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुनकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 से टाईप करवाकर तैयार की गई । मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ताओं को तीन पेनड्राईव में राईट करवाकर दो पेनड्राईव को न्यायालय हेतु एवं आरोपी हेतु सफेद कपडे की थैली में पृथक पृथक सिलचिट कर मार्क ए-1, ए-2 अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखा जाकर मार्क ए-3 अंकित किया। उपरोक्त सिल्डशुदा आर्टिकल्स को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। समय 02.00 पी.एम. पर मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जी.बी. को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड् कर मार्क एम. अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त शील्ड शुदा आर्टिकल्स को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तीब कर शामील पत्रावली की गई। समय 02.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि मांगने पर परिवादी ने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए जिनके नम्बर निम्नानुसार अंकित किये गये। परिवादी श्री उदा गुर्जर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री इन्द्रजीत कानि0 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अबखार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री उदा गुर्जर की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाहन श्री यशपाल जीनगर से लिवाई जाकर नोटों को परिवादी उदा गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शैः नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री प्रेमराज कानि0 से एक साफ डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री इन्द्रजीत कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री इन्द्रजीत कानि0 से बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री इन्द्रजीत कानि0 से कार्यालय के मालखाने में पुनः सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री प्रेमराज कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, नई डिस्पोजल गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री उदा गुर्जर को डिजीटल टेप रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इन्द्रजीत कानि0 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय 03.45 पी.एम. पर परिवादीगण श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह को श्री उदा गुर्जर की मोटर साईकिल से आगे-आगे तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री यशपाल जीनगर, किशोर कुमार तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री प्रेमराज कानि0 को एक अन्य मेमोरी कार्ड जो विडियों रिकॉर्डिग करने हेतु पृथक से सुपुर्द कर मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन टवेरा आर.जे. 14 यू.सी. 8904 एवं श्री पारसमल पुलिस उप अधीक्षक, श्री राजेश कुमार एस.आई, श्री रामेश्वर लाल कानि0 एवं श्री शिवराज कानि0 मय प्राईवेट वाहन से वास्ते टे्प कार्यवाही हेतु कोटडी जिला शाहपुरा की ओर रवाना हुए। समय 04.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना शुदा कोटडी कस्बे के पास पहुंचकर वाहनों को साईड में खड़ा कर परिवादी श्री शंकर सिंह से आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी की लोकेषन मालूमात करने की कहने पर परिवादी श्री शंकर सिंह ने आरोपी के मोबाईल पर फोन कर पूछा तो आरोपी ने सगतपुरिया चौराये से

कोटडी की तरक आना बताया व आकर फोन करने की कहा। इस पर उक्त वक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान सभी अपनी-अपनी गाडियों में बैठे रहकर आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के फोन आने के ईन्तजार में मुकीम रहे। समय 05.18 पी.एम. पर आरोपी श्री अनिल कुमार ने परिवादी श्री शंकर सिंह को उसके मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैं कोटडी तहसील में आ गया हूं। इस पर आरोपी द्वारा की गई मोबाईल वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया। समय 05.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से वॉईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री उदा गुर्जर को सुपुर्द कर परिवादी श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह को आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के पास तहसील कार्यालय कोटडी की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान व स्टाफ के सदस्य भी परिवादी के पिछे-पिछे चलते हुए तहसील कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए खड़े हो नजर रखते हुए सभी सदस्य परिवादीगण के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 06.25 पी.एम. पर दिनांक 29.11.2024 को उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री उदा गुर्जर पुत्र श्री नाथू गुर्जर निवासी ग्राम बागडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा ने समय 05.31 पी.एम. पर तहसील परिसर कोटडी से रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल सहायक उपनिरीक्षक, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री प्रेमराज कानि0 पैदल-पैदल परिवादी श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह के पास तहसील परिसर कोटडी के मैन गेट के पास पहूंचे । जहां पर चालू डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पेश किया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने लेकर बंद किया। पुलिस उप अधीक्षक श्री पारसमल भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एस.आई, श्री शिवराज कानि0 एवं श्री रामेश्वर कानि0 भी ईमदाद हेतु मौके पर उपस्थित आये । परिवादी श्री उदा गुर्जर ने अपने से आगे चलते हुए जिंस पेन्ट व आसमानी रंग की सफेद लाईनदार शर्ट व हाफ ब्लैक जाकिट पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री अनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का साखडा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा है । जिन्होने अभी मेरे से 8,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथों मे लेकर गिनने के पश्चात् 2,000 रूपये मुझे वापस दे दिये एवं शेष राशि 6,000 रूपये इन्होने अपने पहने हुए जैकेट की बांयी जेब में रख लिये है । जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी गणेशनगर धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने पास ही खडे परिवादीगण श्री उदा गुर्जर एवं श्री शंकर सिंह की ओर ईषारा कर पूछा कि आपने श्री उदा गुर्जर के पिताजी के नाम ग्राम बागडी में कृषि भूमि में कुआं पर श्री फेज विधुत कनेक्शन करवाने के लिये नकल व अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करने की एवज में अभी-अभी रिश्वत राशि के 8000 रूपये लेकर 2000 रूपये वापस लौटाये। ये 6000 रूपये आपने किस बात के प्राप्त किये है जिस पर श्री अनिल कुमार पटवारी ने बताया कि मैनें श्री उदा गुर्जर से रिश्वत नही मांगी है और ना ही ली है । इसके श्री फेज विधुत कनेक्शन करवाने के लिये मेरे पास आया था । मैने मौका देखा तो इसका कुआं स्वयं की आराजी मे नही होकर बिलानाम भूमि में आ रहा था जिसको खातेदारी भूमि में दर्ज करने के मुझे अभी-अभी 8000 रूपये दिये जिनमें से मैनें इनको 2000 रूपये पुनः वापस लौटाकर 6000 रूपये अपनी पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब में रखे है जो अभी मेरे पास है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री उदा गुर्जर से पूछने पर बताया कि श्री फेज कृषि विधुत कनेक्शन करवाने के लिये पटवारी साहब नकल व कागजो पर हस्ताक्षर करने के लिये 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अभी 8000 रूपये मेरे से लिये जिसमे से 2000 रूपये मुझे लौटा दिये जो मेरे पास है और 6000 रूपये इन्होने लेकर अपने हाथों से गिनकर अपने पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब में रख लिये । तत्पश्चात श्री शंकर सिंह से पूछा तो श्री शंकर सिंह ने परिवादी श्री उदा गुर्जर द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। इस पर मौके पर कार्यालय तहसील परिसर मे रखे पानी के कैम्पर से कानि0 श्री रामेश्वर से साफ पानी मंगवाया जाकर दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलासों के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार के दांहिने व बायें हाथ की अंगुलियो, अंगुठे को क्रमशः अलग-अलग घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की चार साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर दायें हाथ की धोवन का मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 तथा बायें हाथ की धोवन को मार्क एल.एच.-1 व एल एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये । दोनो डिस्पोजल गिलासों को मौके पर जलाकर नष्ट की गई । इसके पष्चात आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के पहने हुए जेकेट बरंग ब्लेक की तलाशी गवाह श्री यशपाल जीनगर प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो श्री यशपाल जीनगर ने श्री अनिल कुमार पटवारी की पहनी जेकेट बरंग ब्लेक की बांयी जेब से कुछ रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 500-500/-रूपये के 12 नोट कुल राशि 6000/-रूपये होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाहान द्वारा उक्त

नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू-ब-हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है - (1) 500 रूपये का एक नोट 6 KC 450079, (2) 500 रूपये का एक नोट 5 GD 452394 (3) 500 रूपये का एक नोट 3 HE 361814 (4) 500 रूपये का एक नोट 0 BF 728881 (5) 500 रूपये का एक नोट 3 CN 348325 (6) 500 रूपये का एक नोट 3 GT 435656 (7) 500 रूपये का एक नोट 4 DN 564614 (8) 500 रूपये का एक नोट 9 PD 398465 (9) 500 रूपये का एक नोट 4 PF 731423 (10) 500 रूपये का एक नोट 3 PW 461444 (11) 500 रूपये का एक नोट 9 DP 747946 (12) 500 रूपये का एक नोट 1 NF 606689 उक्त नोटों को गवाह श्री यशपाल जीनगर के पास सुरक्षित रखवाया। कार्यालय समय समाप्त होने से तहसील कार्यालय के सभी कमरों के ताला लगा होने से व अन्धेरा होने से मौके पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील परिसर से मय आरोपी मय जाप्ता के पुलिस थाना कोटडी के लिये रवाना होकर पुलिस थाना कोटडी पहूंचें जहां पर हैड कानि0 श्री राजेश नम्बर 132 उपस्थित मिला जिसे ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वीकृती ली गई । तत्पश्चात् पुलिस थाना कोटडी से जरिये मोबाईल थानाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर श्री मुकेश कानि0 एवं श्री रामेश्वर लाल कानि0 को आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के किराये के मकान कोटडी पर निगरानी हेतु रवाना किया गया । इस पर थानाधिकारी के कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए परिवादीगणों के समक्ष गवाह श्री यशपाल जीनगर प्रशासनिक के पास सुरक्षित रखवाये हुए 6000 रूपये रिश्वत राशि को पीले लिफाफे में रखकर सिल्डिचट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क “एन.” अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। श्री अनिल कुमार पटवारी के शरीर पर पहनी हुई ब्लैक कलर की हाफ जैकेट जिस पर बांयी तरफ उपर की ओर AMPLIGO लिखा हुआ है को सःसम्मान उतरवाई गई। इस पर पुलिस थाना कोटडी परिसर से कानि0 श्री प्रेमराज से साफ पानी मंगवाया जाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में जेकेट की बांयी जेब को उल्टाकर घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कर मार्क जे.-1 व जे.-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये । डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाई गई । जेकेट की जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जेकेट को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर मार्क “जे” अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् परिवादी श्री उदा गुर्जर को आरोपी द्वारा 8000 रूपये रिश्वत राशि में से लौटाई गई रिश्वत राशि 2000 रूपये (500-500 रूपये के कुल 04 चार नोट) के प्रस्तुत किये जिनके दोनो गवाहान से नोटो के नंबरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाहान द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू-ब-हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है - (1) 500 रूपये का एक नोट 3 HC 692438 (2) 500 रूपये का एक नोट 7 SD 692407 (3) 500 रूपये का एक नोट 8 GL 123349 (4) 500 रूपये का एक नोट 6 MA 516884 इस पर आरोपी द्वारा परिवादी को लौटाये गये 2000 रूपये रिश्वत राशि को पीले लिफाफे में रखवाकर सिल्डिचट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क “एन.-1” अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी को परिवादी श्री उदा गुर्जर से सम्बन्धित दस्तावेजात् के बारे में पूछने पर बताया कि श्री उदा गुर्जर के मेरे पास कोई दस्तावेज नही है। मैने इसकी कृषि भूमि से सम्बन्धित नक्शा ट्रेस व पटवारी रिपोर्ट पर अभी-अभी हस्ताक्षर कर इनकों दे दिये है। जिस पर परिवादी श्री उदा गुर्जर ने बताया कि पटवारी साहब ने नक्शा ट्रेस व पटवारी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर मुझे लौटा दी है जो मेरे पास है। इस पर परिवादी श्री उदा गुर्जर से कृषि विधुत कनेक्शन से सम्बन्धित पत्रावली ली गई जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली में पेज संख्या 01 से 14 तक है जिसके पेज संख्या 08 एवं 09 नक्शा ट्रेस व पटवारी रिपोर्ट है जिस पर पटवारी अनिल कुमार के हस्ताक्षर हो दिनांक 29.11.2024 व सिल मोहर अंकित है। उक्त मूल पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर फोटा प्रति प्राप्त की जाकर मूल पत्रावली पुनः श्री उदा गुर्जर को लौटाई गई । तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री उदा गुर्जर द्वारा पूर्व मे इमरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादीगणों के समक्ष सुना गया तो परिवादीगण व आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी गणेशनगर धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर से उसके पिता श्री नाथू जी गुर्जर के नाम ग्राम बागडी में कृषि भूमि में कुआं पर श्री फेस विधुत कृषि कनेक्शन लेने के लिये पटवारी रिपोर्ट एवं जमाबन्दी पर हस्ताक्षर करने की एवज में 10000 रूपये की रिश्वत राशि की जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 26.11.2024 को ब्यूरो मे की, जिस पर दिनांक 26.11.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान कुल 8000 रूपये रिश्वत राशि की लेने के लिए सहमत हुआ। उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 29.11.2024 को परिवादी श्री उदा गुर्जर से आरोपी श्री अनिल कुमार ने

8,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर उसमें से परिवादी को 2000 रूपये वापस लौटाये तथा 6000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी गणेशनगर धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब में रखे जो बरामद हुए, आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाता हैं। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 06.25 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 10.30 पी.एम. पर सम्पन्न होकर एसीबी कार्यालय के सरकारी लेपटाप पर श्री खालिद हुसैन हैड कानि से पुलिस थाना कोटडी में तैयार करवाई गई। मौके पर व थाना परिसर कोटडी पर की गई ट्रेप कार्यवाही की विडियों/ऑडियों रिकॉर्डिंग कानि श्री प्रेमराज नम्बर 225 से बी.एन.एस.एस. की धारा 105 व 185 के प्रावधानों के नियमानुसार करवाई गई । कानि को उक्त विडियों/ऑडियों रिकॉर्डिंग का मेमोरी कार्ड अकब से पेश करने की हिदायत की गई । कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। उपरोक्त कार्यवाही में ब्रास सील नम्बर 25 प्रयोग में ली गई। समय 10.40 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी सैपउ रोड, गणेशनगर अयोध्या कुंज कॉलोनी धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। समय 10.45 पी.एम. पर दोनो परिवादीगणों को दिनांक 30.11.2024 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। समय 10.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही में ईमदाद हेतु आये श्री पारसमल पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के आवास की खाना तलाशी लेने हेतु निवेदन किया जिस पर श्री पारसमल पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एस.आई, श्री शिवराज कानि0, श्री प्रेमराज कानि0 मय आरोपी श्री अनिल कुमार को मय सरकारी लेपटॉप मय प्रिन्टर के वास्ते खाना तलाशी किराये के आवास आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के रवाना हुए। दिनांक 30.11.2024 समय 12.10 ए.एम. पर श्री पारसमल पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एस.आई, श्री शिवराज कानि0, श्री प्रेमराज कानि0 मय आरोपी श्री अनिल कुमार के पुलिस थाना कोटडी पर उपस्थित आये व आरोपी अनिल कुमार के निवास की खाना तलाशी ली गई जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार की गई तथा उक्त खाना तलाशी के दौरान की गई विडियों रिकॉर्डिंग का मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे अपने पास सुरक्षित रखा तथा खाना तलाशी को शामील पत्रावली की गई। समय 12.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी मय जब्त शुदा आर्टीकल्स व रिश्वत राशि , लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना कोटडी से ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम के लिये रवाना हुए। समय 01.15 ए. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा वाहनों से ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पहूंचे। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। समय 01.30 ए.एम पर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई मय जाप्ता श्री शिवराज मय सरकारी वाहन टवेरा के चिकित्साधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी का महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर भीलवाडा में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 02.10 ए.एम. पर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई मय जाप्ता श्री शिवराज मय सरकारी वाहन टवेरा के आरोपी का महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडासे स्वास्थ्य परीक्षण करवा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की एवं आरोपी को पुलिस थाना सुभाषनगर भीलवाडा में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवा रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 09.30 ए.एम. पर दोनो परिवादीगण ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। समय 10.30 ए.एम. पर दोनो गवाहान ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया । समय 10.35 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार उनि मय जाप्ता मय वाहन के थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी को पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा से प्राप्त करने हेतु हिदायत कर रवाना किया। समय 11.10 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार उनि मय जाप्ता मय आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी को थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा से प्राप्त कर उपस्थित आये। समय 11.15 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादीगण मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय श्री रामपाल ए.एस.आई मय वाहन सरकारी टवेरा के वास्ते घटनास्थल निरीक्षण हेतु तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के लिये रवाना हुए। समय 01.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हो तहसील परिसर कोटडी पहुंच स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से तहसील परिसर कोटडी जहां रिश्वत राशि का लेन देन हुआ उस स्थल का घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। बाद कार्यवाही के रवाना हो उपस्थित भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा प्रथम आयें। समय 01.20 पी.एम. पर दिनांक 29.11.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह दोनो स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में मोबाईल पर हुई वार्ताओं एवं रूबरू हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस

रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री प्रेमराज नम्बर 225 से टाईप करवाकर तैयार करवाई गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं के तीन पेनड्राईव राईट (कॉपी) किये गये जिसमें से दो पेनड्राईव को न्यायालय एवं आरोपी के लिये पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में शील्डशुदा मार्क बी.-1, बी.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया एवं एक पेनड्राईव को कागज के लिफाफे में अनुसंधान अधिकारी हेतु रखा जाकर मार्क बी.-3 अंकित गया । समय 03.50 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जी.बी. को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड् कर मार्क एम.-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त सिल्डशुदा आर्टिकल्स को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामील पत्रावली की गई । समय 04.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री इन्द्रजीत कानि0 मय पत्रावली के आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी को 15 योम जे.सी. रिमाण्ड में पेश करने हेतु एसीबी कोर्ट भीलवाडा सरकारी वाहन टवेरा के रवाना हुए। समय 05.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा एसीबी कोर्ट भीलवाडा पहूंचकर पत्रावली मय आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी का 15 योम जे.सी. रिमाण्ड हेतु पेश किया। श्रीमान् न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को 15 योम. जे.सी. भेजने के आदेश किये। जे.सी. वारन्ट प्राप्त कर आरोपी को जिला कारागृह भीलवाडा में जमा करा रसीद प्राप्त कर उपस्थित आये। समय 06.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को कार्यालय लेपटॉप से जोडकर उसमें दर्ज रिकॉर्डिंग के परिवादी श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह दोनो स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में श्री प्रेमराज नम्बर 225 से तीन पेनड्राईव राईट (कॉपी) किये गये जिसमें से दो पेनड्राईव को न्यायालय एवं आरोपी के लिये पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में शील्ड कर मार्क सी.-1, सी.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया एवं एक पेनड्राईव को कागज के लिफाफे में अनुसंधान अधिकारी हेतु रखा जाकर मार्क सी.-3 अंकित गया । समय 06.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड् कर मार्क एम.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया । फर्द पृथक से मुर्तीब कर शामील पत्रावली की गई । समय 07.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के निवास की ली गई खाना तलाशी के दौरान की गई ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड वी.एम. एलाईट कम्पनी 64 जी.बी. को कार्यालय लेपटॉप से जोडकर उसमें दर्ज रिकॉर्डिंग को परिवादी श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह दोनो स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में श्री प्रेमराज नम्बर 225 से तीन पेनड्राईव राईट (कॉपी) किये गये जिसमें से दो पेनड्राईव को न्यायालय एवं आरोपी के लिये पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में शील्ड कर मार्क डी.-1 व डी.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया एवं एक पेनड्राईव को कागज के लिफाफे में अनुसंधान अधिकारी हेतु रखा जाकर मार्क डी.-3 अंकित गया। समय 07.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के निवास की ली गई खाना तलाशी के दौरान की गई ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड वी.एम. एलाईट कम्पनी 64 जी.बी. को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड् कर मार्क एम.-3 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तीब कर शामील पत्रावली की गई । समय 07.20 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादीगण को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई पितल की ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की ब्रास सील नम्बर 25 को ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील पृथक से तैयार की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.30 पी.एम. पर परिवादीगण श्री उदा गुर्जर व श्री शंकर सिंह एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री यशपाल जीनगर एवं श्री किशोर कुमार को बाद ट्रेप कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा रिश्वत राशि , धोवन की शिशियां, पेनड्राईव, मूल मेमोरी कार्डस्, व अन्य शिल्डशुदा आर्टिकल्स को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री रामपाल ए.एस.आई को सुपुर्द किया गया। समय 08.15. पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की पेनड्राईव तैयार करने के सम्बन्ध में श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 का धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। समय 08.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की पेनड्राईव तैयार करने के सम्बन्ध धारा 63 (4) (ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि मांग सत्यापन, लेन-देन के समय हुई वार्ता, फर्द ट्रांसक्रिप्ट, रनिंग नोट, फर्दात से आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी गणेशनगर धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा द्वारा परिवादी श्री उदा गुर्जर से उसके पिता श्री नाथू जी गुर्जर के नाम ग्राम बागडी में कृषि भूमि में कुआं पर श्री फेस विधुत कृषि कनेक्शन लेने के लिये पटवारी रिपोर्ट एवं जमाबन्दी नक्शा ट्रेस पर हस्ताक्षर करने की एवज में 10000 रूपये की रिश्वत राशि मांग की शिकायत पर दिनांक 26.11.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान कुल 8000 रूपये रिश्वत राशि की लेने के लिए सहमत हुआ । उक्त मांग के अनुसरण

मे दिनांक 29.11.2024 को परिवादी श्री उदा गुर्जर से आरोपी श्री अनिल कुमार ने 8,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर उसमें से परिवादी को 2000 रूपये वापस लौटाये तथा 6000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी गणेशनगर धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब में रखे जो बरामद हुए, आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी सैपउ रोड, गणेशनगर अयोध्या कुंज कॉलोनी धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के विरूद्ध धारा उपरोक्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी । भवदीय, (कल्पना) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्रीराम गोस्वामी उम्र 34 साल निवासी सैपउ रोड, गणेशनगर अयोध्या कुंज कॉलोनी धौलपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रीठ, अतिरिक्त चार्ज साखडा, तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 455 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1550-53 दिनांक 01-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा। 2-जिला कलक्टर, शाहपुरा। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/12/2024 17:54:25

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/08/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)